न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/395

1. औंकार आत्मज श्रवण जाति मीणा निवासी खातीखेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामदेवा आयु 50 वर्ष आत्मज औंकार जाति मीणा निवासी खातीखेडा ।
   1/2. श्रीमती रामजानकी पुत्री औंकार पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी गुलखेडी तहसील व जिला बून्दी ।
   1/3. श्रीमती कमला पुत्री औंकार पत्नी मदनलाल जाति मीणा निवासी कंवरपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. श्रीमती जमना बाई आयु 45 वर्ष पत्नी श्री रामदेवा जाति मीणा निवासी खातीखेडा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामकरण आत्मज श्रवण जाति मीणा निवासी खातीखेडा (मृतक) जरिये कायममुकामान –
   1/1. लक्ष्मण आयु 40 वर्ष ।
   1/2. कस्तूर चन्द आयु 35 वर्ष ।
   1/3. राधेश्याम आयु 30 वर्ष पिसरान श्री रामकरण जाति मीणा निवासी खातीखेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला, बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम खातीखेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 250/326 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण कम 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुए कि वे वादग्रस्त आराजी पर बलपूर्वक कब्जा न करे, अतिक्रमण न करे फसल को नहीं उलटं नष्ट भ्रष्ट नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प बडानया गॉव में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम बडानयागॉव में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम बडानयागॉव में रखते हुए निर्णित कर दिया । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 26.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

9. निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा